सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

6वां तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली - 1 10 003.

पत्रावली संख्या –2/1/2014–समन्वय

दिनांक – 07 /04/2015

सेवामें

श्री वेदप्रकाश सिंहल
अनुसंधान अधिकारी
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
कमरा न. 101 एवं 102, प्रथम तल, केन्द्रीय सदन
सैक्टर – 10, विद्याधर नगर, जयपुर – 302023

विषय – आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव के दिनांक – 20/01/2015 से 22/01/2015 तक जयपुर राजकीय प्रवास की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि डॉ. रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष महोदय की दिनांक – 20/01/2015 से 22/01/2015 तक जयपुर राजकीय प्रवास की रिपोर्ट तथा सुनवाई प्रकरणों के कार्यवृतो की प्रति सलंग्न कर भेजते हुए निवेदन है कि सुनवाई प्रकरणों को सम्बन्धित विभागों तथा प्राथियों को अग्रेसित करते हुए कार्यवृत में उल्लेखित निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय कार्यवाही कर आयोग मुख्यालय को सूचित करे।

सलंग्न – 106 पृष्ठ।

भवदीय

(एस. पी. मीणा)
सहायक निदेशक (समन्वय)

प्रति – वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक, रा.सू.से., रा. अ. ज. आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को आयोग के वेबपटल पर अपलोड करने बाबत्।

सहायक निदेशक

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. रामेश्वर उंराव, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, के दिनांक – 20/1/2015 से 22/01/2015 तक जयपुर, दौरे की रिपोर्ट निम्नवत है। इस दौरे पर श्री टी. डी. कुकरेजा, अध्यक्ष के निजि सचिव भी उनके साथ दौरे पर थे। :–

1. <u>दिनांक – 20/01/2015, मंगलवार</u>

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव, श्री खेमराज चौधरी एवं श्री सूंडाराम मीणा, संयुक्त निदेशक ने शिष्टाचार भेंट की व राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र सहित संचालित जनजाति विकास एवं कल्याणकारी योजनओं की प्रगति की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की।

2. <u>दिनांक – 21/01/2015, बुधवार</u>

(i) पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बित चल रहे 6 प्रकरणों की सुनवाई की। जिनके सुनवाई कार्यवृत्त **<u>अनुलग्नक – 1 से 6</u>** तक सलंग्न है।

(ii) अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान, जयपुर, प्रगतिशील आदिवासी संगठन, जयपुर, जय आदिवासी संस्था, जयपुर एवं अखिल भारतीय मीणा महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा मीणा समाज को राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में उपस्थित संगठनों के पदाधिकारियों की सूची **<u>अनुलग्नक – 7</u>** पर सलंग्न है।

(iii) मीणा जाति के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों पर राजस्थान सरकार द्वारा रोक लगाये जाने वाले पत्र क्रंमाक – पं. 11 (204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/53218, जयपुर दिनांक–30/09/2014 एवं पत्र क्रंमाक–प. 11 (204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/66293 दिनांक – 23/12/2014 को बगैर आयोग एवं जनजाति कार्यमंत्रालय से अनुमोदन करवाये जारी करने पर विरोध जताते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किये।

(iv) श्री रामकुंवार मीणा, निवासी – बसवा, जिला – दौसा ने अपनी पैतृक भूमि विवाद के सम्बन्ध में अवगत कराया और आग्रह किया की आयोग मामले में हस्तक्षेप करके न्याय दिलवाने की कृपा करें। प्रार्थी को सुझाव दिया गया कि अपनी समस्या के निदान हेतु आयोग कार्यालय को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।

चर्चा के उपरान्त प्रतिनिधियों को बताया गया कि उक्त सभी अभ्यावेदनों पर आवश्यक कार्यवाही आयोग द्वारा की जायेगी।

3. **<u>दिनांक – 22/01/2015, गुरूवार</u>**

(i) क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बित चल रहे 3 प्रकरणों की सुनवाई कार्यवृत्त **<u>अनुलग्नक – 8 से 10</u>** तक सलंग्न है।

(ii) जनजाति प्रकोष्ठ, समता आन्दोलन समिति, नायक महासभा एवं अखिल भारतीय धाणका जनजाति संघर्ष समिति के पचास सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने मीणा जाति द्वारा मीना अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाकर राजकीय सेवाओं एवं अन्य फायदे लेने के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मीणा जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने से रोकने का अनुरोध किया। ज्ञापन देने हेतु प्रस्तुत प्रतिनिधियों की सूची **<u>अनुलग्नक –</u>**

11 पर सलंग्न है तथा प्रतिनिधि मण्डल ने जनजाति कार्यमंत्रालय द्वारा नायक जाति के अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होने के संदर्भ में जारी किये गये स्पष्टीकरण का विरोध किया तथा राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण जारी करने हेतु निर्देशित करने बाबत् अनुरोध किया।

(iii) चर्चा के उपरान्त प्रतिनिधियों को बताया गया कि उक्त सभी अभ्यावेदनों पर आवश्यक कार्यवाही आयोग द्वारा की जायेगी। इस संदर्भ में दिनांक – 23/01/2015 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति **अनुलग्नक–12** पर सलंग्न है।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की समीक्षा भी की गई। जिसका विवरण **अनुलग्नक – 13** पर सलंग्न है।

रामेश्वर 3/1/9

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 01 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या 3/14/राज./2/2005–आर.यू.

आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में चल रहा प्रकरण संख्या 3/14/राज./2/2005–आर.यू. **अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जे से सम्बन्धित है।**

सम्बन्धित विभाग का नाम – **जिला कलक्टर, जयपुर**

उपस्थित – **(i) श्रीमती रतन कौर, तहसीलदार, आमेर, जयपुर**

प्रार्थी – **श्री रामनारायण मीणा,**

(1) **प्रकरण का विवरण –** श्री रामनारायण मीणा पुत्र स्व0 श्री सुलतान मीणा, निवासी वार्ड नं. 3, बन्द तालाब रोड़, मीणों का मोहल्ला, थाना आमेर जिला, जयपुर से प्राप्त अभ्यावेदन, दिनांक 25–07–2005 में उनकी कृषि भूमि को अनधिकृत रूप से किये गये कब्जे से मुक्त कराने बाबत् उल्लेख किया गया है। प्रकरण में आयोग कार्यालय द्वारा दिनांक 09–08–2015 को कलेक्टर, जयपुर व पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) को पत्र भेजा गया। पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (उत्तर) ने दिनांक 12–09–2005 के अपने जवाब में अवगत कराया कि ख.नं. 940 व 941 पर दो पक्षों के बीच भूमि की दावेदारी का मामला है, जिसकी पैमाईश जब तक अधिकारियों की मौजूदगी में नहीं होगी तब तक स्थाई हल नहीं होगा। इस क्रम में पैमाईश हेतु आयोग कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन को दिनांक 26–12–2005 को पत्र भेजा गया। तहसीलदार आमेर जिला–जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25–01–2006 में दर्शाया कि नक्शा मौका में अन्तर होने व मौके पर विवाद की संभावना होने के कारण सीमा ज्ञान की कार्यवाही नहीं हो पायी। तत्पश्चात् आयोग द्वारा भूमि से सम्बन्धित विवरण मांगे जाने के उपरान्त उपखण्ड अधिकारी आमेर (जयपुर) ने अपने पत्र में ग्राम आमेर के ख. नं. 940 व 941 की

डा० रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

21/09/15

भूमि आवंटित भूमि नहीं होकर निजी खातेदारी की भूमि बताया। ख.नं. 940 की खातेदारी हरिनारायण पुत्र महादेव हि0 1/2 कोयला देवी पत्नि रामगोपाल, रामअवतार, रविन्द्र पिता रामगोपाल हि. 1/2 जाति मीणा के नाम तथा ख.नं. 941 की खातेदारी रामनारायण पुत्र सुलतान मीणा के नाम दर्ज बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आयोग के पत्र दिनांक 15–01–2009 द्वारा आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को अपना लिखित पक्ष रखने हेतु पत्र भेजा गया। प्रकरण में शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भी दिनांक 28–09–2011 को पत्र लिखा गया व निरन्तर स्मरण–पत्र भेजे जाते रहने के उपरान्त अभी तक मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने एवं प्रशासन से कोई जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई आयोग द्वारा की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – जिला कलक्टर, जयपुर के पंचायत चुनाव, 2015 के कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी ओर से श्रीमती रतन कौर, तहसीलदार, आमेर, जयपुर उपस्थित हुई। कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर का लिखित जवाब क्रंमाक – न्याय – ग्रुप – 2 / /(1) 2015/113 दिनांक – 20/0122015 **सलंग्नक – 1** है। तहसीलदार द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि विवादित भूमि खसरा न. 941 रकबा 0.51 व खसरा न. 940/9213 रकबा 0.40 है. से लगती हुई भूमि की खातेदारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर व वन विभाग की है, चूंकि मौका विवादित होने के कारण उक्त भूमि का सीमाकंन भू प्रबन्ध अधिकारी व राजस्व ऐजेन्सी द्वारा गठित टीम के द्वारा जरीब के माध्यम से दिनांक – 5/5/2005 को भी नियमानुसार फीस जमा कर किया गया था। परन्तु तत्समय सीमाकंन के दौरान नक्शा मौका में अंतर व विवाद होने की संभावना को देखते हुए सीमाकंन कार्यवाही नहीं हो सकी। प्रश्नागत भूमि का सीमाकंन भू–प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को ई.डी.एम. मशीन के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों व प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थी ने सुनवायी के दौरान यह भी बताया है कि उसकी जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया और कई बार उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर उसे पुलिस द्वारा हवालात में बन्द भी किया गया है।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय ने विगत दस वर्षों से लम्बित चले आ रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के प्ररकण पर जिला प्रशासन की निक्रियता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्र दिनांक – 02/09/2011 की अनुपालना में शीघ्र ही सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर प्रकरण के निदान की कार्यवाही करने एवं माह मार्च, 2015 के द्वितीय सप्ताह तक अनुपालना रिपोर्ट

डा० रामेश्वर उरांव
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
नई दिल्ली

आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। जिला अधिकारियों से कहा गया की अगर प्रशासन द्वारा मार्च, 2015 के अन्त तक अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उस स्थिति में आयोग पर राज्य के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेशी के आदेश दिये जायेगे।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

***

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 02 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या – 3/12/राज./1/2013–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 3/12/राज./1/2013–आर.यू. **अनुसूचित जनजाति के खातेदार की भूमि का पैट्रोल पंप संचालन हेतु जबरन अतिक्रमण** करने से सम्बन्धित है।

सम्बन्धित विभाग का नाम – (i) जिला कलक्टर, डूंगरपुर
(ii) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन, उदयपुर।

उपस्थित – (i) श्री विनित आचार्य, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन, उदयपुर।

प्रार्थी – श्री हूरजी पिता श्री नागाजी मीणा, डूंगरपुर।

(1) **प्रकरण का विवरण –** श्री हूरजी पिता श्री नागाजी मीणा, निवासी–वालाई, तहसील–आसपुर, जिला–डूगरपुर से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 11–06–2013 के कम में कलेक्टर, जिला–डूगरपुर, राजस्थान एवं वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी लि., उदयपुर को लिखा गया। जिला प्रशासन एवं प्रबन्धन, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी लि0, उदयपुर द्वारा आयोग कार्यालय को प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराने पर दिनांक 24–07–2013 एवं 30–09–2013 को स्मरण–पत्र भी भेजे गये। वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कम्पनी लि0, उदयपुर से प्राप्त पत्र कमांक URR/PKS/301, दिनांक 25–09–2013 व कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, डूगरपुर के पत्र कमांक न्याय/2013/811,

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

दिनांक 11–06–2014 के कम में आयोग कार्यालय, जयपुर के पत्र दिनांक 11–08–2014 व स्मरण–पत्र दिनांक 21–10–2014 द्वारा जिला प्रशासन को लिखा गया कि **आदिवासी खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि सरकार को समर्पित नहीं की गयी है, न ही सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति को प्रंसगित पत्र द्वारा प्रेषित् जवाब एवं दस्तावेजों में दर्शाया गया है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना उपखण्ड अधिकारी, आसपुर व तहसीलदार आसपुर की रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है।**

जिला प्रशासन से अनुसूचित जनजाति के खातेदार की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के संदर्भ में उचित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से आयोग कार्यालय को अवगत कराने बाबत् लिखा गया, परन्तु जिला प्रशासन की कार्यवाही संतोषजनक नहीं होने व आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्र दिनांक – 11/08/2014 व स्मरण पत्र दिनांक – 21/10/2014 के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – जिला कलक्टर, डूंगरपुर के पंचायत चुनाव, 2015 के कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी ओर से जिला प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं हो सका तदापि जिला प्रशासन से प्राप्त पत्र न्याय/2014/84 दिनांक – 16/01/2015 द्वारा जिला प्रशासन द्वारा प्रकरण में की गई अद्यतन कार्यवाही से अवगत कराया, जो कि **सलंग्नक – 1** पर है। जिसके अनुसार प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, आसपुर से कार्यवाही की जा कर मौजा–मोबाई के खाता नम्बर 270 के खसरा न. 108/2 रकबा 1.0 बीघा किस्म – मगरी बीड़ से अतिक्रमण हटा दिया गया है। पत्र के साथ उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आसपुर, जिला – डूंगरपुर की रिपोर्ट भी सलंग्न की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौके पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक – 15/02/2015 को जे.सी.बी. लगाकर सारा अतिक्रमण हटा दिया गया है।

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन से श्री विनित आचार्य, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक ने उपस्थित होकर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि आवंटित पैट्रोल पम्प पर आवागमन मार्ग से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर कार्पोरेशन द्वारा पैट्रोल पम्प पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं करवाया गया है।

(3) **वांछित कार्यवाही** – बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन एवं पैट्रोलियम कम्पनी को पैट्रोल पम्प स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करने

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

रामेश्वर उरांव 3/19

से पूर्व पम्प पर वाहनों के आने–जाने के रास्ते हेतु खातेदार से सम्पर्क स्थापित कर वांछित कार्यवाही की जानी चाहिये थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने पर संतोष व्यक्त करते हुए वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धन्क, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन को अनुसूचित जनजाति की भूमि से आवागमन सम्बन्धित समस्या का निराकरण होने तक पैट्रोल पम्प विकास कार्य नहीं करवाने हेतु निर्देशित किया। आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को जिला प्रशासन के जवाब की प्रति प्रार्थी को भेजने हेतु निर्देशित किया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 03 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या – 3/21/राज./1/2009–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 3/21/राज./1/2009–आर.यू. जो कि **"आदिवासी युवतियों का शोषण" शीर्षक से दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक – 29/01/2009 को प्रकाशित समाचार से सम्बन्धित है।**

सम्बन्धित विभाग का नाम – (i) जिला कलक्टर, नागौर।

उपस्थित – (i) **श्री सुवालाल पहाड़िया, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला – नागौर।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** दिनांक 29–01–2009 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में **"आदिवासी युवतियों का शोषण"** नामक प्रकाशित समाचार पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक, जिला–नागौर (राज0) से रिपोर्ट मांगी। पुलिस अधीक्षक, जिला–नागौर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18–02–2009 में दर्शाया कि प्रकरण धारा 343, 376, 366 आपीसी व 3(1)(xii) एससीएसटी एक्ट में दर्ज कर तफतीश शुरू की गयी। अनुसंधान में पीड़ित चार महिलाओं में से तीन मध्य प्रदेश की व एक महाराष्ट्र की पायी गई। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 366, 366 क, 368, 372, 376, 120बी, आईपीसी व 3(1)(xii) 2 (v) एससीएसटी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया व उनकी गिरफ्तारी शेष बतायी गई।

पुलिस अधीक्षक, नागौर की रिपोर्ट के आधार पर पीडिताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने बाबत् दिनांक 23–03–2009 को पत्र लिखा गया। अनेक स्मरण–पत्र भी भेजे गये। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, नागौर ने अपने पत्र दिनांक

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

रामेश्वर उरांव

19–04–2011 में अवगत कराया कि पीडितिाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अनुशंसा रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट नागौर को भिजवाई जा चुकी है। उसके उपरान्त अनेक पत्र/स्मरण–पत्र इस क्रम में कलेक्टर नागौर को भेजे गये लेकिन कोई जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण 2009 से लम्बित होने के कारण प्ररकण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – जिला कलक्टर, नागौर के पंचायत चुनाव, 2015 के कार्य में व्यस्त होने के कारण जिला प्रशासन की ओर से श्री सुवालाल पहाड़िया, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जिला – नागौर उपस्थित हुए। सहायक निदेशक ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि प्रकरण में पीड़िताओं के पक्षद्रोही हो जाने के कारण प्रकरण माननीय न्यायालय में खारीज़ हो चुका है। जिसके कारण पीड़िताओं को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा सकी। जिला प्रशासन का पत्र क्रंमाक – प. 21 ( ) न्याय/राअजाजजाआ/2015/1226 दिनांक – 15/01/2015 **सलंग्नक – 1** पर है।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला प्रशासन को माननीय न्यायालय से सभी दस्तावेज लेकर पीड़िताओं के पक्षद्रोही होने सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय जिला कलक्टर, नागौर के माध्यम से माह अप्रैल के अन्त तक आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को भेजने हेतु निर्देशित किया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 04 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या – 2/4/राज./13/2010–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 2/4/राज./13/2010–आर.यू. जो कि **अनुसूचित जनजाति के छात्र को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिलने के सम्बन्ध में है।**

सम्बन्धित विभाग का नाम –	(i)	**प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।**
उपस्थित –	(i)	**डॉ. योगेश कुमार, सहायक निदेशक (शिक्षा), निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।**
प्रार्थी –		**श्री रामकेश मीणा, टोंक।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** श्री रामकेश मीणा, निवासी तुम्बीपुरा, तहसील उनियारा, जिला–टोंक, राजस्थान से प्राप्त अभ्यावेदन (दिनांक 01–03–2011 को प्राप्त) के क्रम में प्रमुख शासन सचिव व आयुक्त, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 14–03–2011 को पत्र लिखा व अनेक स्मरण–पत्र भेजे जाने के उपरान्त सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, टोंक, राजस्थान ने अपने जवाब दिनांक 12–10–2014 में बताया कि छात्र द्वारा अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 31–03–2009 तक आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सका। छात्र द्वारा आय प्रमाण–पत्र दिनांक 12–04–2010 को प्रस्तुत करना बताया जो कि 31–03–2010 तक प्रस्तुत करना था, इस कारण छात्र को वर्ष 2009–10 की भी छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकी। छात्र को आयोग कार्यालय द्वारा

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

रामेश्वर उरांव

तदानुसार अवगत कराने के उपरान्त छात्र ने आयोग को सूचित किया कि उसने आय प्रमाण–पत्र दिनांक 02–11–2009 को ही प्रस्तुत कर दिया था। विभाग को छात्र से प्राप्त पत्र के अनुसार आयोग द्वारा पुनः पत्र लिखा गया व अनेक स्मरण–पत्र भी निरंन्तर भेजे गये लेकिन विभाग से जवाब प्राप्त नहीं हुआ। जिसके कारण प्रकरण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – डॉ. योगेश कुमार, सहायक निदेशक (शिक्षा), निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि प्रकरण में श्री रामकेश मीणा द्वारा सत्र – 2008–09 में दिनांक – 26/12/2008 को जिला कार्यालय – टोंक में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी को विभाग द्वारा कई बार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये गये, परन्तु प्रार्थी द्वारा आय प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण वर्ष 2008–09 की छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकी। बैठक में विभाग द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का अवलोकन भी किया गया, अवलोकन में पाया कि प्रार्थी का आय प्रमाण पत्र दिनांक – 30/10/2009 को कार्यालय तहसीलदार – उनियारा से जारी हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा दिनांक – 12/4/2010 को विभागीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आय प्रमाण पत्र दिनांक – 31/03/2010 तक अप्राप्त होने के कारण छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा सकी। विभाग का जवाब पत्र क्रंमाक – एफ 9 (4)/छात्र/ज. जा.आयोग/सान्याअवि/3419 दिनांक – 21/1/2015 **सलंग्नक – 1** पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विभागीय जवाब पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र को अपने छात्रवृत्ति आवेदन करते समय ही अपने आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र सलंग्न करना चाहिये था। जो कि प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में विभागीय जवाब से प्रार्थी को अवगत कराते हुए प्रकरण को बन्द करने हेतु आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को निर्देशित किया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 05 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या – 3/14/राज./3/2012–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 3/14/राज./3/2012–आर.यू. जो कि **अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने से** सम्बन्धित है।

सम्बन्धित विभाग का नाम – **(i) जिला कलक्टर, जयपुर ।**

उपस्थित – **(i) श्री मनोज शर्मा, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।**

प्रार्थी – **सुप्रिया मीना पत्नी श्री कमलेश कुमार मीना, जयपुर।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** सुप्रिया मीना पत्नी श्री कमलेश कुमार मीना, निवासी लबाना, तहसील आमेर जिला–जयपुर से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 14–09–2012 के क्रम में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर व कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) को लिखा गया जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12–10–2012 में बताया कि मामले में अभियोग संख्या 225/12 धारा 143, 341,323, 342, 365, आपीसी व 3–1 एससीएसटी एक्ट में पंजिकृत कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व अनुसंधान जारी होना बताया गया। मामले में पुनः आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के पत्र दिनांक 04–06–2013 व 14–08–2014 द्वारा प्रकरण की नवीनतम वस्तुस्थिति ज्ञात करने पर पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) की रिपोर्ट दिनांक 12–08–2013 में बताया गया कि मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 325, आई.पी.सी. व 3–1 (10) एससीएसटी एक्ट में अपराध बखूबी साबित पाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रकरण का निस्तारण करने का उल्लेख किया

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

गया। तत्पश्चात् अभ्यार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रकरण में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने व पीड़ित को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) व उपनिदेशक, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण को निरन्तर पत्र भेजे जाने के उपरान्त भी आयोग कार्यालय को अवगत नहीं कराने के कारण प्रकरण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण –** जिला कलक्टर, जयपुर ने पंचायत चुनाव, 2015 के कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी ओर से श्री मनोज शर्मा, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उपस्थित हुये। कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर का पत्र क्रमाक – न्याय ग्रुप – 1/2015/62 दिनांक – 16/01/2015 **सलंग्नक – 1** पर है। उपनिदेशक द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि प्रकरण में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम – 1989 की धारा 3 – 1 (10) के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000 ₹ स्वीकृत कर चैक संख्या – 154123 दिनांक – 19/01/2015 द्वारा भुगतान पीड़िता को कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला प्रशासन द्वारा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

(3) **वांछित कार्यवाही** – आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को प्रकरण की सफलता पर प्रकरण को बन्द करने हेतु निर्देशित किया गया।

रामेश्वर 3/1/15

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 21/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 06 **दिनांक – 21/01/2015**

पत्र संख्या – 2/5/राज./1/2013–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 2/5/राज./1/2013–आर.यू. जो कि **अनुसूचित जनजाति के बालक के बहादुरी पुरस्कार की राशि को निजि शैक्षणिक संस्थान के नाम जारी करने के संदर्भ** में दिनांक – 16/012014 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार से सम्बन्धित है।

सम्बन्धित विभाग का नाम – **(i) जिला कलक्टर, सिरोही ।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा समाचार पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर, सिरोही, राजस्थान को दिनांक 22–01–2014 को पत्र भेजा गया जिला प्रशासन द्वारा आयोग को जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 09–04–2014 व 14–10–2014 को स्मरण–पत्र भी भेजे गये परन्तु प्रकरण की वस्तुस्थिति एवं कृत कार्यवाही से जिला प्रशासन द्वारा आयोग कार्यालय को अभी तक अवगत नहीं करवाया गया। 26 जनवरी, 2011 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित सारणेश्वर गॉव के आदिवासी बालक श्रवण को 12वीं कक्षा तक सालाना 31,000/– की मिलने वाली राशि किसी निजी शैक्षणिक संस्थान के नाम जारी होने के कारण आदिवासी बालक के अधिकार से वंचित हो जाने के कारण प्रकरण में सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – जिला कलक्टर, सिरोही के पंचायत चुनाव, 2015 के कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो सके। जिसको आयोग द्वारा गम्भीरता से

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

लिया गया। कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही का पत्र क्रंमाक – सामान्य/2015/394 दिनांक – 21/01/2015 **सलंग्नक – 1** पर है। कलक्टर – सिरोही द्वारा आयोग को भेजे गये पत्र दिनांक – 21/01/2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी – रेवदर एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक – सिरोही से जांच करवाई जा रही है। जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग को प्रेषित्की जावेगी।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिला कलक्टर – सिरोही द्वारा आयोग कार्यालय को प्रेषित् पत्र क्रंमाक – सामान्य/2015/394 दिनांक – 21/01/2015 का अवलोकन करते हुए एक माह की अवधि में जिला प्रशासन से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर आयोग मुख्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 22/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 01 **दिनांक – 22/01/2015**

पत्र संख्या – 5/4/राज./6/2010–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 5/4/राज./6/2010–आर.यू. जो कि **राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम के बिन्दु 2 (ट) के अनुसार प्रबोधक पद पर सीधी भर्ती हेतु अध्यापन अनुभव में सहरिया क्षेत्र में संचालित मां बाड़ी परियोजना में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के अनुभव को सम्मिलित न करने** के सम्बन्ध में है।

सम्बन्धित विभाग का नाम – **(i) प्रमुख शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** राजस्थान के बॉरा जिले के सहरिया आदिम जाति बाहुल्य क्षेत्र में संचालित मॉ बाड़ी परियोजना में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16–01–2013 को की गई सुनवाई में यह अनुशंसा की गयी थी की सहरिया क्षेत्र में संचालित मॉ बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्मिक के कार्यानुभव को प्रबोधक भर्ती नियमों के अन्तर्गत माना जाना चाहिये एवं तदानुसार प्रबोधक की सीधीभर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु भर्ती की पुनः समीक्षा करने हेतु रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राज्य सरकार करें, जिसके क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने पत्र क्रमांक 17(1) प्राशि/2012 जयपुर दिनांक 07–06–2013 द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के नियम 2 (ट) में सीधीभर्ती प्रयोजन के लिए अध्यापक अनुभव में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था या परियोजना में पर्यवेक्षक हैसियत से अर्जित अनुभव ही सम्मिलित है। इन नियमों के नियम 13(5) में शैक्षणिक परियोजनाओं को स्पष्ट किया गया है जिसमें राजीव गॉधी पाठशाला/शिक्षाकर्मी बोर्ड/लोक जुम्बिश

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

परियोजना/सर्वशिक्षा अभियान/जिला प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन सेवारत कार्मिक ही सम्मिलित है।

इस क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब आयोग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं है। पत्र में उल्लेखित नियम 13(5) भर्ती के लिए आयु सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित है। यदि उक्त नियम में उल्लेखित परियोजनाओं को ही माना जाता है तो उनका उल्लेख नियम 2(ट) में होना चाहिये था न कि नियम 13 (5) में। इसके अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा से आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्राप्त प्रकरण में जवाब दिनांक 29–06–2012 भी उक्त विभागीय जवाब के विपरीत है।

(2) **कार्यवाही विवरण** – प्रमुख शासन सचिव, प्रकरण में सुनवाई के दौरान कोई भी विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हुये, न ही जवाब प्रस्तुत किया। जिसको आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया कि प्रकरण के नीतिगत विषय का होने के कारण, मामले का आयोग मुख्यालय स्तर पर अनुवर्ती परीक्षण करते हुए आयोग मुख्यालय स्तर पर ही सुनवाई की जायेगी। अतः प्रकरण पत्रावली को मूल ही आयोग मुख्यालय को स्थानान्तरित करने हेतु आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को निर्देशित किया गया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 22/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 02 **दिनांक – 22/01/2015**

पत्र संख्या – 5/3/राज./2/2014–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 5/3/राज./2/2014–आर.यू. जो कि **अनुसूचित जनजाति की महिला बैंक अधिकारी के स्थानान्तरण** के सम्बन्ध में है।

सम्बन्धित विभाग का नाम –	**(i)**	**प्रबन्ध निदेशक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कोलकाता।**
	(ii)	**मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर।**
उपस्थित –	**(i)**	**श्री पी. पी. सिंह, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर।**
प्रार्थिया –	**(ii)**	**श्रीमति शशीबाला मीणा, जयपुर।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** श्रीमति शशिबाला मीणा स्केल–3 अधिकारी यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर क्षेत्र, निवासी सी–4/233, चित्रकूट जयपुर से अभ्यावेदन दिनांक 29–07–2014 प्राप्त हुआ। इसमें बैंक द्वारा उनका जयपुर से अलवर किया गया स्थानान्तरण निरस्त कराने का आयोग कार्यालय से अनुरोध किया गया। उनके पति शारिरिक रूप से विकलांग हैं व जयपुर में ही स्केल–1, अधिकारी पद पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा जयपुर मे कार्यरत है। पति व पत्नि को एक ही स्थान पर पदस्थापित करने के भारत सरकार के ज्ञापन, पति की विकलांगता तथा उनके दो छोटे बच्चों की जयपुर में पढाई इत्यादि परिस्थितिजन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए बैंक द्वारा उनका स्थानान्तरण निरस्त करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अतः इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इडिया, प्रधान कार्यालय, कोलकाता तथा मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

रामेश्वर उरांव

जयपुर को पत्र दिनांक 13–08–2014 भेजा। निश्चित समयावधि में जवाब नहीं आने पर पुनः स्मरण–पत्र दिनांक 15–09–2014 भेजा गया। प्रधान कार्यालय कोलकता के पत्र दिनांक 24–09–2014 द्वारा पुनः आयोग के पत्र दिनांक 13–08–2013 की प्रति मय संलग्नक मांगे जाने पर बैंक को आयोग के पत्र दिनांक 15–10–2014 द्वारा उपलब्ध करावा दिया गया। उसके उपरान्त भी बैंक से आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। इसी दौरान प्रार्थिया चोटग्रस्त हो जाने के कारण दिनांक 30–04–2014 से चिकित्सा आधार पर अवकाश पर थी, जिसके तत्सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र भी बैंक प्रबन्धन को प्रार्थिया द्वारा दिये गये। बैंक द्वारा उनका अवकाश स्वीकृत नहीं किया, न ही वेतन दिया तथा बैंक ने सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है, जिसके कारण प्रकरण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – श्री पी. श्रीनिवास, प्रबन्ध निदेशक एंव मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक – 17/01/2015 में आयोग क्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराया कि मुम्बई में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ तथा बैंक की निदेशक मण्डल की प्रबन्धन समिति की अत्यन्त महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लेना आवश्यक होने के कारण दिनांक – 22/01/2015 को आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित रहने में असमर्थता व्यक्त की एवं बैंक के प्रतिनिधी के रूप में मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, जयपुर को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया। बैंक के प्रबंध निदेशक की ओर से प्रेषित् पत्र क्रंमाक – एमडी एवं सीईओ/एनसीएसटी/64/2015 दिनांक – 17/01/2015 **सलंग्नक – 1** पर है।

(i) प्रकरण की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष महोदय ने अभ्यार्थी श्रीमती शशि मीणा से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा। जिस पर श्रीमति शशिबाला मीणा एवं ऑल इण्डिया बैंक अजा/जजा परिसंघ के अध्यक्ष श्री अशोक मीणा ने अभ्यार्थी के साथ हुये स्थानान्तरण, वेतन भुगतान एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के घटनाक्रम को सिलसिलेवार प्रस्तुत किया।

(ii) मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक ने सुनवाई के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण परिपत्र – एचआरएम/पीएओई/23/ ओएम – 0483/14–15 दिनांक – 26/11/2014 के अनुसार अभ्यार्थी के प्रकरण में कार्यवाही की गई है।

रामेश्वर उरांव

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

(iii) बैंक सेवानियमों के तहत प्रकरण में जांच समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अनुशासन प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप श्रीमति शशिबाला मीणा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। अभ्यार्थी यदि बैंक के निर्णय से सहमत नहीं है तो वो सेवानियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले के विरूद्ध अपीलिय अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकती है।

(iv) माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए स्थानान्तरण परिपत्र – एचआरएम/पीएओई /23/ओएम – 0483/14–15 दिनांक – 26/11/2014 के बिन्दु संख्या – 2 (iv) "How ever, transfer prayer on spouse ground does not necessarily confer the rights on female officer/employee for such transfer" पर असंतोष जताया क्योंकि यह प्रावधान युगल के एक जगह पर पदस्थापन को अनदेखा करता है।

(v) माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि स्थानान्तरण पर अभ्यार्थी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवारिक कारणों से छः माह उपरान्त उपस्थिति देने पर बैंक प्रबन्धन द्वारा अभ्यार्थी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करने के दण्ड को Quantam of punishment more than the gravity of offence मानते हुए अनुसूचित जनजाति की महिला अधिकारी के विरूद्ध बैंक द्वारा की गई कार्यवाही को किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं माना एवं अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दण्ड के स्थान पर बैंक प्रबन्धन के पास अन्य विकल्प भी मौजूद थे, जिन्हें प्रबन्धन द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता था।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रार्थिया को सलाह दी की वह अपनी अपील समय से अपने उच्च अधिकारियों/अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। बैंक प्रबन्धन को सलाह दी कि वह Principal of quantam of punishment with gravity of offence को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया की अपील पर नियमानुसार निर्णय ले।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ. रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में दिनांक – 22/01/2015 को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में की गई प्रकरण की सुनवाई का कार्यवृत्त।

प्रकरण संख्या – 03 **दिनांक – 22/01/2015**

प्रकरण संख्या – 5/4/राज./2/2014–आर.यू.

प्रकरण संख्या – 5/4/राज./2/2014–आर.यू. जो कि **अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान करने** से सम्बन्धित है।

सम्बन्धित विभाग का नाम – **(i) अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, स्टेट फ्लाईंग स्कूल व नागरिक उड्डयन एवं सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।**

प्रार्थी का नाम – **(ii) श्री मूलचन्द मीणा, जयपुर।**

(1) **प्रकरण का विवरण –** श्री मूलचन्द मीणा, हेल्पर, राजस्थान स्टेट फलाईंग स्कूल, स्टेट हेंगर, जयपुर से पदौन्नति बाबत् दिनांक 16–06–2014 को आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिस पर आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 01–07–2014 को अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, स्टेट फलाईंग स्कूल व नागरिक उडड्यन तथा सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्र भेजा। निश्चित समयावधि में जवाब नहीं आने पर दिनांक 12–08–2014, दिनांक 03–09–2014 तथा दिनांक 01–12–2014 को निरन्तर स्मरण पत्र भेजे जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई की गई।

(2) **कार्यवाही विवरण** – प्रमुख शासन सचिव, प्रकरण में सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये। जिसको आयोग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। विभाग ने पत्र क्रंमाक – आर. एस. एफ. एस. /संस्था/2015 दिनांक – 21/01/2015 द्वारा अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के यात्रा कार्यक्रम के कारण सचिव, राजस्थान राज्य उड्डयन

21/1/15 3/1/15

डा॰ रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

विद्यालय, जयपुर व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हो सके। विभाग द्वारा आयोग को प्रस्तुत जवाब पत्र क्रमाक – आर. एस0 एफ0 एस/ संस्था/2015 दिनांक – 21/01/2015 **सलंग्नक – 1** पर है।

(ii) विभागीय जवाब के अनुसार राजस्थान स्टेट फ्लाईग स्कूल के सेवानियमों में कनिष्ठ लिपिक/जूनियर मैकेनिक के पदो का सेवा नियमों में समावेश न होने एवं सेवा नियमों में पदोन्नति सम्बन्धित प्रक्रिया, पात्रता एवं योग्यता के वर्णन न होने के कारण प्रार्थी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। पत्र में यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान स्टेट फ्लाईग स्कूल में विगत 5 वर्षो से फ्लाईग गतिविधियाँ बन्द है।

(3) **वांछित कार्यवाही** – माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण में प्राप्त जवाब के अवलोकन के उपरान्त जवाब की प्रति अभ्यार्थी को प्रेषित् करते हुए पत्रावली बन्द करने हेतु आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को निर्देशित किया।

रामेश्वर उरांव

(डॉ. रामेश्वर उरांव)

अध्यक्ष

***

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर दिनांक – 22/01/2015 की समीक्षा बैठक का विवरण।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय की समीक्षा बैठक ली। अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को निर्देशित किया कि क्षेत्रीय कार्यालय में चल रहे प्रकरणों की वर्ष वार सूची तैयार कर पुराने प्रकरणों की सुनवाई सांराश तैयार कर आयोग मुख्यालय को भेजे। ताकि लम्बित प्रकरणों में जहाँ आवश्यकता हो उन पर सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा सके तथा समय–समय पर लम्बित कार्य की स्थिति का आंकलन कर आयोग मुख्यालय को अवगत कराये।

(2) श्री वेदप्रकाश सिंहल, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय से श्री चेतन कुमार शर्मा, अन्वेषक के आयोग मुख्यालय स्थानान्तरण हो जाने के कारण तथा क्षेत्रीय कार्यालय में लम्बे समय से रिक्त चले आ रहे निम्न पदो के कारण अनुसूचित जनजाति के प्रकरणों के निस्तारण में आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

(1) निदेशक

(2) वरिष्ठ अन्वेषक

(3) अन्वेषक के दो पद

(4) कार्यालय अधीक्षक

(5) अपर श्रेणी लिपिक

(6) निम्न श्रेणी लिपिक

(7) स्टेनो

(8) स्टाफ कार ड्राईवर

इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुसंधान अधिकारी को आयोग मुख्यालय में सम्बन्धित अधिकारियों को लिखे एवं उनसे समाधान हेतु से चर्चा भी करे, जिससे क्षेत्रीय कार्यालय में मानव संसाधन की नियुक्ति की व्यवस्था की जा सकें।

(3) क्षेत्रीय कार्यालय में नये कम्प्यूटर तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/टंकक की आवश्यकता बताई गयी। जिसके संदर्भ में माननीय अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया कि आयोग मुख्यालय स्तर से नये कम्पयूटर खरीद एवं डाटा एन्ट्री ऑरेटर/टंकक उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में कार्यरत कर्मचारियों ने लम्बे समय से पदोन्नति प्रक्रिया के बन्द रहने एवं संशोधित सुनिश्चित केरियर प्रन्नोयन स्कीम (MACP) का भी विगत 2 वर्षो से कर्मचारियों को लाभ नहीं देने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया तथा अनुसूचित जाति आयोग के सचिव को पत्र लिखने हेतु अनुरोध किया।

***